दिनांक :

प्रति,

१. केंद्रीय सांस्कृतिक कार्यमंत्री, नई देहली.

२. मा. अध्यक्ष, केंद्रीय चलचित्र परिनिरीक्षण मंडल, मुंबई.

विषय : हिन्दू धर्म के लिए प्राणों की बाजी लगानेवाले
नागा साधुओं से संबंधित विकृत दृश्य दिखाकर हिन्दू संस्कृति को
कालिख पोतनेवाले चलचित्र 'लाल कप्तान' पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में .....

महोदय,

नागा साधुओं के संदर्भ में कथा और चित्रित चलचित्र 'लाल कप्तान' ६ सितबंर २०१९ को प्रदर्शित हो रहा है । माध्यमों में प्रसारित समाचारों के अनुसार यह चलचित्र १७८० के दशक का है । इसमें 'एक नागा साधू प्रतिशोध लेने के लिए अंग्रेज अधिकारी की हत्या करता है तथा तत्पश्चात वह उसके सिर पर लाल कपडा बांधकर घूमता है, इस आशय की कथा दिखाई गई है । हिन्दू धर्मरक्षा के लिए महान कार्य करनेवाले साधुओं की अपकीर्ति करने का षड्यंत्र इस चलचित्र के माध्यम से दिखाई देता है । नागा साधू हिन्दू साधुओं की परंपरा का एक महत्त्वपूर्ण भाग हैं । हिन्दुओं की दृष्टि से नागा साधुओं का महत्त्व अनन्य साधारण है । उनके संबंध में इस प्रकार का अयोग्य चित्रण हो, तो वह अत्यंत अयोग्य और हिन्दू धर्म परंपराओं का उपहास करनेवाला सिद्ध होगा । उसी प्रकार यह नागा साधुओं की प्रतिमाभंजन करनेका अत्यंत निम्न स्तर का प्रयत्न सिद्ध होगा ।

हाल ही में प्रदर्शित चलचित्र 'आर्टिकल १५' में ब्राह्मण समाज से संबंधित अयोग्य चित्रण करने के कारण उत्तर प्रदेश स्थित कानपुर सहित अनेक स्थानों पर कानून-व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न हो गया था । उसी प्रकार इस 'लाल कप्तान' चलचित्र के माध्यम से हिन्दू धर्म की निंदा एवं अपमान हिन्दू समाज सहन नहीं करेगा तथा कानून-व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता ।

चलचित्र निर्माता, आधुनिकतावादी, पत्रकार आदि अनेक बार प्रश्न करते हैं कि जब तक चलचित्र प्रदर्शित नहीं होता, उसमें क्या चित्रित किया है, यह नहीं देखा है, तब तक चलचित्र का विरोध कैसे करते हो ? प्रत्यक्ष में चलचित्र प्रदर्शित होने के पश्चात अनेक बार विरोध होकर भी चलचित्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता तथा विरोध के परिणामस्वरूप चलचित्र को अधिक प्रसिद्धी मिलकर निर्माताओं को अधिक पैसा मिलता है; परंतु चलचित्र बनाते समय ही विवाद उत्पन्न न हो, ऐसा बनाया जाए, तो समाजस्वास्थ्य बना रहेगा । इसकी सावधानी रखने के लिए ही चलचित्र पूर्ण होने से पूर्व जो बाते हमें ज्ञात हुई हैं, उसके संबंध में हमारी आपत्ति है । हिन्दुओं के विरोध के संबंध में निर्माता अथवा संबंधित हिन्दू संत-महंतों से चर्चा करें तथा आश्वासन दें कि चलचित्र में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो हिन्दू समाज को चलचित्र को विरोध करने का कोई कारण शेष नहीं रहेगा; परंतु अभी तक ऐसी उदारता न तो चलचित्र परिनिरीक्षण मंडल ने दिखाई है तथा न ही चलचित्र निर्माताओं ने दिखाई है । इससे स्पष्ट होता है कि चलचित्र परिनिरीक्षण मंडल तथा चलचित्र निर्माताओं की दृष्टि में हिन्दू समाज की भावनाओं का क्या मूल्य है ।

*** इस चलचित्र के अनुषंग से कुछ बातें आगे दे रहे हैं । हमारी अपेक्षा है कि इसका विचार गंभीरता से**

हो । –

१. नागा साधु आदि शंकराचार्यजी की लडाकू सेना है । हिन्दू धर्म की रक्षा करने के लिए आदि शंकराचार्यजी द्वारा निर्माण की हुई व्यवस्था है । नागा साधुओं की दीक्षा किसी को भी सहज ही नहीं मिल जाती । उसके लिए कठोर ब्रह्मचर्य और अन्य धर्मशास्त्रीय नियम पालने पडते हैं ।

२. अभी तक अनेक बार विदेशियों ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय भारत के राजा–महाराजाओं ने नागा साधुओं से सहायता ली थी, इतिहास में इसके अनेक उदाहरण हैं । इतिहास में युद्ध के ऐसे गौरवपूर्ण उदाहरण हैं, जिनमें ४० हजार से अधिक नागा साधुओं ने युद्ध में भाग लिया था ।

३. अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा, वृंदावन के पश्चात गोकुल पर आक्रमण किया, तब नागा साधुओं ने उनका सामना कर गोकुल की रक्षा की । वर्तमान स्थिति में भारत में नागा साधुओं के १३ अखाडे हैं, उसमें लाखों नागा साधु साधना कर रहे हैं ।

४. नागा साधू कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कृत्य नहीं करते । चलचित्र 'लाल कप्तान' में दिखाया गया है कि नागा साधू व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अंग्रेज अधिकारी की हत्या करता है । यह चलचित्र यदि प्रदर्शित होता है तो नागा साधु किस प्रकार अयोग्य कृत्य करते हैं, यह अवास्तविक तथा अयोग्य चित्र लोगों के मन पर अंकित होगा ।

५. अभी तक 'पीके', 'केदारनाथ', 'पद्मावत' आदि अनेक चलचित्रों में प्रत्येक बार हिन्दुओं की धर्मपरंपराओं, देवता, संत, राष्ट्रपुरुष, ब्राह्मण और जाति संबंधी जानबूझकर अनुचित चित्रण दिखाया जाता है । उसके द्वारा हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं का अनादर किया जाता है । निर्माता जानते हैं कि कितना भी विरोध हो, हिन्दू सहिष्णु होने के कारण अधिक कुछ नहीं करेंगे; परंतु यही बात मुसलमान अथवा ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत होने पर सेन्सर बोर्ड सहित शासन भी त्वरित कार्यवाही करता हुआ दिखाई देता है । इसके अनेक उदाहरण हैं ।

अ. मुसलमानों की भावनाएं आहत करनेवाले तमिल चलचित्र 'विश्वरूपम्' पर तमिलनाडु शासन ने प्रतिबंध लगाया था ।

आ. ईसाइयों की भावनाएं आहत करनेवाले अंग्रेजी चलचित्र 'द दा विंची कोड' पर गोवा शासन ने प्रतिबंध लगाया था ।

इ. 'कमाल धमाल मालामाल' नामक चलचित्र में एक फादर को कुत्ते का विवाह करवाते हुए दिखाया गया था । यह चलचित्र प्रदर्शित होने के पश्चात इस चलचित्र का ईसाइयों ने विरोध किया था । उस समय इस चलचित्र से वह प्रसंग हटाकर पुनः प्रदर्शित किया गया ।

ई. अक्षयकुमार के चलचित्र 'एंटरटेनमेन्ट' में हास्य कलाकार जॉनी लिवर का नाम 'अब्दुल्ला' था । यह नाम मुसलमानों में पवित्र माना जाता है तथा इस चलचित्र में इस नामपर अनेक उपहास किए गए हैं, ऐसी आपत्ति होने पर सेन्सर बोर्ड ने निर्माता को इस पात्र का नाम बदलने हेतु बाध्य किया ।

उक्त उदाहरण गिनेचुने हैं; परंतु हिन्दुओं के देवता अथवा धर्म के संबंध में कितना भी विरोध हो, उसमें न तो सेन्सर बोर्ड तथा न ही शासन कोई कार्यवाही करता है । ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी आकर हिन्दुओं की भावनाएं कुचल देता है । अब यह विस्मरण हो गया है कि अच्छी पटकथा, अच्छे संवाद, अच्छा अभिनय, अच्छे गाने आदि बातों से भी चलचित्र अच्छा बनता है तथा अच्छा व्यवसाय भी करता है । आज जानबूझकर विवाद उत्पन्न कर, हिन्दुओं की भावनाएं आहत कर, धर्मपरंपराओं पर आघात कर चलचित्र बनाए जाते हैं । प्रसिद्धी और पैसा कमाने का वर्तमान चलचित्र निर्माताओं का यह नीतिहीन और व्यवसायिक समीकरण बन गया है, यह वास्तविकता है ।

*** इस संबंध में हमारी निम्न मांगे हैं .....**

१. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा किसी भी समाज घटक की भावनाएं आहत न हों, इस दृष्टि से हिन्दू संत-महंत, नागा साधुओं के अखाडे आदि को दिखाकर उनकी अनुमति के बिना इस चलचित्र को केंद्रीय चलचित्र परीनिरीक्षण मंडल अनुमति न दे ।

२. अभी तक के अनुभव को देखते हुए हिन्दुओं के प्रति भावनाशून्य रहनेवाले केंद्रीय चलचित्र परीनिरीक्षण मंडल हिन्दुओं की मांगे अस्वीकार करते हुए चलचित्र को यदि अनुमति दे, तो शासन हिन्दुओं की भावनाओं का विचार करते हुए इस चलचित्र को प्रतिबंधित करे तथा हिन्दुओं की भावनाओं का सम्मान करे ।

३. चलचित्र के माध्यम से हिन्दू धर्म, धर्मग्रंथ, देवता, संत, परंपरा, राष्ट्रपुरुष, विविध समाजघटक आदि से संबंधित अयोग्य चित्रण नहीं किया जाए । इसके लिए केंद्रीय चलचित्र परिनिरीक्षण मंडल नियमावली बनाए ।

४. केंद्रीय चलचित्र परीनिरीक्षण मंडल में चलचित्रों की धार्मिक बातें जांचने के लिए हिन्दू धर्म के अभ्यासक, मान्यताप्राप्त सर्वमान्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में चयनित किया जाए । उनके द्वारा ऐसे चलचित्रों के चित्रण की जांच के पश्चात ही अनुमति दी जाए ।

आपका विश्वासपात्र,

संपर्क :